फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थी — प्रेमाराम पुत्र लिखमाराम **बनाम** अप्रार्थी — सरकार

प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र (136 एल.आर.एक्ट) मुकदमा नं. 106/2024

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
11.11.24	प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने खातेदारी भूमि में शुद्धि हेतु जरिये अधिवक्ता श्री एस.एस. कालवी के पेश किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा, 136 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956 का होने से** प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी हो। मिसल दिनांक 26.12.24 को पेश हो।	
26/12/24	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी [illegible] मिटिंग के भ्रमण अवकाश पर [illegible] इसलिए प्रकरण [illegible] समक्ष दिनांक 18/2/25 को [illegible] करें	
18/02/25	पत्रावली पेश। मौका रिपोर्ट प्राप्त। वकील प्रार्थी से मौका रिपोर्ट के अनुसार शुद्धि का निवेदन किया। [illegible] प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल। मिसल फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।	

18/8/25 पत्रावली वादी वकील प्रार्थी द्वारा आदेश संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र 152 CPC पेश किया। जिसे स्वीकार किया जाकर शा. पत्रावली किया गया। पत्रावली अरिंदा दिनांक 3/9/2025 को पेश हो।

[signature]

3/9/25 प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अधीन धारा 152 CPC पर पत्रावली पेशी में ली गई। पत्रावली व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी का नाम ग्राम सिलारिया के खाता सं. 197 जिसमे भूमि खसरा नं. 359 रकबा 0.3966 हैक्टर. ख.नं. 774/356 रकबा 1.7483 हैक्टर व ख.नं. 786/782 रकबा 0.9388 हैक्टर दर्ज है उसमे प्रार्थी का नाम रेमार्क किया जावे। पूर्व के आदेश मे लाल स्याही से नोट लगाया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल(नागौर)

पीठासीन अधिकारी–अभिलाषा, आर.ए.एस.

प्रार्थनापत्र –106/2024

प्रार्थी–

1. पेमाराम उर्फ प्रेमाराम पुत्र लिखमाराम जातियान जाट निवासी सिलारिया तहसील जायल

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थित–

1. प्रार्थी अधिवक्ता शैलेन्द्रसिंह कालवी हाजिर ।
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :– 18/02/25

प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर. एल.आर. एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खेताया मौजा सिलारिया के खाता संख्या 197 के खसरा नम्बर 359 रकबा 0.3966 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 774/356 रकबा 1.7483 हैक्टेयर, एवं खसरा नम्बर 786/782 रकबा 0.9388 हैक्टेयर रहता चला आया है। जिसमें प्रार्थी का नाम पेमाराम पुत्र लिखमाराम के स्थान पर प्रेमाराम पुत्र लिखमाराम दर्ज कर दिया गया है। जिसको सुधार किया जाना आवश्यक है क्यों कि प्रार्थी का नाम गलत दर्ज हो जाने से सरकारी सहायता वगैराह प्राप्त नहीं हो सकती। प्रार्थी को परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए राजस्व रिकोर्ड में मौजा सिलारिया के खाता संख्या 197 के खसरा नम्बर 359 रकबा 0.3966 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 774/356 रकबा 1.7483 हैक्टेयर, एवं खसरा नम्बर 786/782 रकबा 0.9388 हैक्टेयर में अन्य दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी का नाम पेमाराम उर्फ प्रेमाराम पुत्र लिखमाराम दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे व इसी माफिक राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल के नाम आदेश जारी फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब देही तलब किया गया। जवाब देही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं.1 राजपैरोकार ने जवाब हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि दस्तावेजों व आम गुवाड़ में उपस्थित मौजिज लोगों से पुछताछ की गई। प्रार्थी के दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड बैंक डायरी वोटर आई डी व अन्य दस्तावेजों में पेमाराम दर्ज है जबकि जमाबंदी नकल में प्रेमाराम दर्ज है। जांच में पाया की दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की ताईद में मौजा सिलारिया के वर्तमान (2073–2076) खाता संख्या 197 कि जमाबंदी की नकल जिसमें प्रार्थी का नाम पेमाराम पुत्र लिखमाराम के स्थान पर प्रेमाराम पुत्र लिखमाराम दर्ज है पेश की। प्रार्थी के द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई एवं प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिकोर्ड दुरस्ती करने का निवेदन किया।

निवेदन प्रार्थी का सूना गया। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा मौजा सिलारिया के खाता संख्या 197 के खसरा नम्बर 359 रकबा 0.3966 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 774/356 रकबा 1.7483 हैक्टेयर, एवं खसरा नम्बर 786/782 रकबा 0.9388 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार का

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

म प्रेमाराम पुत्र लिखमाराम के स्थान पेमाराम पुत्र लिखमाराम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मौजा सिलारिया के खाता संख्या 197 के खसरा नम्बर 359 रकबा 0.3966 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 774/356 रकबा 1.7483 हैक्टेयर, एवं खसरा नम्बर 786/782 रकबा 0.9388 हैक्टेयर की जमा बदीं के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम पेमाराम पुत्र लिखमाराम के स्थान पर प्रेमाराम पुत्र लिखमाराम भूलंवश दर्ज किया जाना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार यह ताईद होता है कि प्रार्थी का अन्य दस्तावेजात में नाम एवं राजस्व रिकोर्ड में नाम में भिन्नता है। प्रार्थी के नाम राजस्व रिकोर्ड में शुद्ध किया जाता है रिकोर्ड दुरस्ती से सुलभता रहेगीं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में मौजा सिलारिया के मौजा सिलारिया के खाता संख्या 197 के खसरा नम्बर 359 रकबा 0.3966 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 774/356 रकबा 1.7483 हैक्टेयर, एवं खसरा नम्बर 786/782 रकबा 0.9388 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार प्रेमाराम पुत्र लिखमाराम के स्थान पर पेमाराम उर्फ प्रेमाराम पुत्र लिखमाराम दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : आदेशः : –

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता मौजा सिलारिया के खाता संख्या 197 के खसरा नम्बर 359 रकबा 0.3966 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 774/356 रकबा 1.7483 हैक्टेयर, एवं खसरा नम्बर 786/782 रकबा 0.9388 हैक्टेयर में दर्ज **प्रेमाराम पुत्र लिखमाराम के स्थान पर पेमाराम उर्फ प्रेमाराम पुत्र लिखमाराम दुरूस्त/दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते है। उपरोक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा।** तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

आदेश आज दिनांक 18/02/25 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

नोट :- आदेश दिनांक 18/02/25 के पालना में प्रार्थी का नाम पूर्व में आदेशित पेमाराम उर्फ प्रेमाराम के स्थान पर केवल पेमाराम करने का आदेश किया जाता है। इसके अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे।

12/09/2025